


उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या: 615/xxxi(15)G/21-02(रा0सू0आ0)/2015
देहरादून: दिनांक ०३ सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15(3) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया निम्नानुसार समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


- | | | |
|--|---|---------|
| 1. मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड | — | अध्यक्ष |
| 2. मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड | — | सदस्य |
| 3. श्री बंशीधर भगत, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार | — | सदस्य |


(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या 615/xxxi(15)G/21-02(रा0सू0आ0)/2015 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा0 अध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
3. मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा0 नेता प्रतिपक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
10. एन0आई0सी0 की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
11. गार्ड फाइल।


(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।